न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

B.P. No.-347/2026
ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या–149/2023

1- **राजा खान उर्फ मो0 राजा,** उम्र करीब–25 वर्ष, पिता– मो0 कलीम खान
(साकिन–ग्वालपाड़ा, वार्ड नं.–06, थाना– ग्वालपाडा एवं जिला मधेपुरा).....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .....प्रतिपक्षी।

15-07-2026

दिनांक 28.02.2026 से काराधीन अभियुक्त राजा खान उर्फ मो0 राजा की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सी. डी. सिंह, द्वारा प्रचालित किया गया। नियमित जमानत आवेदन–पत्र की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक रितेश कुमार थानाध्यक्ष ग्वालपाड़ा के फर्द बयान के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक और नमेश कुमार मिलकर एक सीटी 100 मोटरसाईकिल जिसका नं. –BR-43F7308 है से दिनांक–02.08.2023 को करीब 8 बजे शाम को मो. अमरेज के अंडा दुकान पर वह और नमेश कुमार अंडा खा रहे थे इसी दौरान 22–23 आदमी की संख्या में हरवे हथियार लेकर अंडा दुकान पर आ कर उसे गाली देते हुए धमकाने लगा कि तुमसे दो लाख रूपया रंगदारी मॉगा था अभी तक पहुँचाया क्यों नहीं। इसी बात पर वह और नमेश बोलने लगे कि रंगदारी में दो लाख रूपया क्यों देंगे। इसपर क्रमशः मो. कलीम खान, ने बोला कि मादर चोद को गाली मारो। इस पर राजा खान ने गोली चला दिया। जो गोली उसके सीने में थोडा नीचे लगा, जिससे वह घायल हो गया। फिर अब्दुल उर्फ सतर ने गोली चलाया जो उसके जॉघ को छुते हुए निकल गया, जिससे उसके जॉघ पर हलका जख्म हो गया। मो. अफरोज खान ने गोली चलाया जो नहीं लगा और वह जमीन पर गिर गया। इस पर नसीम खान उर्फ डोमी, अंगूर खान, इब्बा खान, कमरूल खान, इब्राहिम खान, मो. गुलफान, मो. कुर्बान, मो. तोसीफ मो. कासीम, दोनों का घर झंझरी 'जोत मनोहर' तथा आठ से नौ आदमी के करीब जिसमें वह नहीं पहचान पाया ये सभी आदमी मिलकर मारपीट करने लगा और गाली–गलौज करते हुए बोल रहा था देख लो मर गया की नहीं अगर नहीं मरा है तो और गोली मारो। ये लोग उसके जेब से पॉच हजार रूपया और एक चॉदी का लॉकेट जिसका कीमत करीब 2500 सौ रूपया था जो ले लिया। इसी वक्त संयोग से लाईन चला गया और वह किसी तरह से भागने लगा। भागने के क्रम में रास्ते में मो. हसन ने पकड़ लिया। वह किसी तरह छुड़ाकर भागा फिर आगे बढ़ने पर मो. अंजार ने पकड़ लिया और मारने लगा। वह किसी तरह छुड़ाकर और एक दिवाल फूदकर भाग गया। तब तक उसके पिताजी, चाचाजी और बड़े भाई को जानकारी मिला तो आकर ग्वालपाड़ा हॉस्पीटल ले गया। जहॉ दबाई और पट्टी बॉधकर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर
दिया, जहां वह ईलाजरत है। सूचक के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध ग्वालपाड़ा थाना कांड संख्या–149/2023 अन्तर्गत धाराऐं 147, 148, 149, 341, 323, 379, 385, 307, 504 भारतीय दंड विधान एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

15-07-2026
लगातार.....

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सी. डी. सिंह, द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक इससे पहले अग्रिम जमानत संख्या–1862/24 इस न्यायालय के द्वारा खारिज होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना से कि0 मिश0 नं0–50057/25 मंतव्य के साथ खारिज हुआ है उसके बाद कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में लंबित नही है। आवेदक पुर्णतः निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया है जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। आवेदक घटना के दिन एवं समय दूसरे राज्य में रहकर पढ़ाई करते थे, इसलिए प्रार्थी संबंधित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे उसके दुश्मन के इशारे पर सूचक की मिली भगत के कारण झुठा फॅसाया गया है। आवेदक का पूर्व का अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक–28.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है। यह आवेदक विधि को मानने वाला व्यक्ति है जिसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय को पर्याप्त राशि का एवं संतोषप्रद निजी बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने को तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

बिहार सरकार के विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले में पर्याप्त सामग्री, कांड दैनिकी में उपलब्ध है। अतः नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचक के फर्द बयान, मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। *Victim Ritesh Kumar received gun shot injury in right chest with ICD in-situ. On examination at Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Patna-14. Para 121 of case diary stated no criminal antecedent against petitioner Raja Khan. Moreover petitioner has been under judicial custody since 28.02.2026.*

In view of alleged injury sustained by victim Ritesh Kumar, I am inclined to enlarge the petitioner on regular bail upon furnishing a bail bond of Rs. 20,000/- of two sureties of like amount each with further condition that bail bond be accepted after framing of charge.

लेखापित

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।